# न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

## समक्ष

## एम0के0सिंह

## सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2482 –दो/2012 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–4–2012 –पारित ब्दारा – अपर कलेक्टर, अशोकनगर – प्रकरण कमांक 88/2010–11 निगरानी

पवनकुमार पालीवाल दत्तक पुत्र
श्रीमती मथुरावाई पत्नि उदयराम
पालीवाल ग्राम राजपुर तहसील
व जिला अशोकनगर ---आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती सकुनवाई पत्नि ताराचंद
ग्राम राजपुर तहसील व जिला
अशोकनगर, मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री बिनोद श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री भारत भूषण शर्मा)

आ दे श

(आज दिनांक 17 - 2 - 2016 को पारित)

यह निगरानी मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण कमांक 88/10–11 निगरानी में पारित आदेश 30.4.12 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने नायव तहसीलदार अशोकगर को आवेदन देकर व्यवहार न्यायालय की डिकी के आधार पर ग्राम राजपुर की भूमि सर्वे नंबर 804 रकबा 5 वीघा पर नामान्तरण करने की मांग की । नायव तहसीलदार ने

प्रकरण क्रमांक 26 अ-6/2008-09 पंजीबद्ध किया तथा हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने प्रकरण की प्रचलनशीलता पर आपत्ति प्रस्तुत की। नायब तहसीलदार ने हितबद्ध पक्षकारों को सुनकर अंतरिम आदेश दिनांक 16.6.11 से भूमि सर्वे नंबर 804 के सम्बन्ध में की गई आपत्ति निरस्त कर दी तथा प्रकरण साक्ष्य हेतु नियत कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर अशोकनगर के न्यायालय में निगरानी क्रमांक 88/10-11 प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर द्वारा आदेश 30.4.2012 से निगरानी निरस्त कर दी गई। इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव नायब तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत आपत्ति आवेदन एंव उनके द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16-6-11 के अवलोकन पर पाया गया कि आवेदक ने आपत्ति यह की है कि अनावेदक द्वारा सर्वे नंबर 804 के बारे में यह आपत्ति की है कि भूमि सर्वे नंबर 804 पर नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31.3.03 से नामान्तरण किया है और यह आदेश अंतिम हो चुका है जिसके कारण वर्तमान आवेदन पर नामान्तरण प्रकरण चलने योग्य नहीं है। अंतरिम आदेश दिनांक 16-6-11 एंव अपर कलेक्टर अशोकनगर के आदेश दिनांक 30.4.12 के अवलोकन से स्थिति यह है कि भले ही नायब तहसीलदार ने आदेश दिनांक 31.3.03 से भूमि सर्वे नंबर 804 पर आवेदक का नामान्तरण किया है किन्तु माननीय प्रथम अपर जिला न्यायाधीश अशोकनगर के सिविल अपील क्रमांक 13 ए 06 में पारित आदेश दिनांक 5-4-08 से स्थिति बदल चुकी है एंव जिन सर्वे नंबरान का इस आदेश में उल्लेख है, उनके सम्बन्ध में नामान्तरण

की कार्यवाही की जाएगी , क्योंकि सिविल न्यायालयों के आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है इस प्रकार नायव तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 26 अ-6/2008-09 में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 16.6.2011 में किसी प्रकार का दोष नहीं है और इन्हीं कारणों से अपर कलेक्टर अशोकनगर ने प्रकरण क्रमांक 88/2010-11 निगरानी में पारित आदेश 30.4.2012 से नायव तहसीलदार के अंतरिम आदेश दिनांक 16-6-2011 को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 88/2010-11 निगरानी में पारित आदेश 30.4.2012 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर